(1)

20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(60)

(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–टीकमगढ़ निग-1198-II-16

1. रहीश पुत्र शालिगराम यादव,
2. देवीदीन पुत्र स्वामी यादव,

निवासीगण– ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1. अनन्तराम पुत्र धम्मे यादव,
2. रामरतन पुत्र धन्नी यादव,
3. घनश्याम पुत्र धन्नी यादव,
4. रामस्वरूप पुत्र फुन्दी यादव,
5. राकेश पुत्र हरीराम यादव,
6. नन्दकिशोर पुत्र हरीराम यादव,
7. अखलेश पुत्र हरीराम यादव,
8. गोटीराम पुत्र विसना यादव,
9. अनुप कुमार पुत्र मातादीन यादव,
10. अनुज कुमार पुत्र रामस्वरूप यादव

निवासीगण– ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

11. श्रीराम पुत्र श्री लछमन यादव,

निवासी ग्राम करमोरा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/ स्वमेव निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1198-दो/2016 रहीश विरूद्ध अनन्तराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक रहीश की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक अनन्तराम व अन्य की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ट शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 04/स्वमेव निगरानी/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 04-04-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-04-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

23.X.18

(3)

4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

23 x 18

(आर.के. जैन)
सदस्य